

Newspaper Advertisement



TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

NOTICE

It has come to our notice that certain Firms/Entities are issuing individual communications to the registered bondholders of IFCI Long Term Infrastructure Bonds issued by IFCI having its registered office at IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi 110019 stating that the said bonds would be redeemed by these Firms/entities.

IFCI hereby cautions the General public that IFCI has not authorised or appointed anyone to act on its behalf for the redemption. The bondholders are advised to exercise utmost care and diligence in dealing with such Firms/Entities to avoid any kind of loss by dealing with these third parties not authorised by IFCI.

Please note that, in case, any bondholder relies upon any such representation/statements made by the Firms/Entities, IFCI shall not be responsible for any such encashment decision of the bondholder through these Firms/Entities.

Each bondholder is advised to make an independent evaluation or assessment of the transaction undertaken by them. In case any assistance is required, the bondholders may contact IFCI at following Tel: +91-11-41792800, 41732000 (Extn. No. 2475/2457 & 2420).

Place: New Delhi

Sd/-

Date: 27 March, 2018

GM (Resources)

जिस किसी से सम्बन्धित हो

सूचना

यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ फर्मों/इकाइयों आईएफसीआई, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है, द्वारा जारी आईएफसीआई लांगटर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडधारकों को व्यक्तिगत संप्रेषण कर रही हैं कि इन फर्मों/इकाइयों द्वारा उक्त बांड मोचित किए जा रहे हैं ।

तदनुसार आईएफसीआई सर्व साधारण को सचेत करता है कि आईएफसीआई ने मोचन के लिए अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी को प्राधिकृत या नियुक्त नहीं किया है । बांडधारकों को सूचित किया जाता है कि ऐसी फर्मों/इकाइयों से संव्यवहार करते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें और ध्यान रखें ताकि आईएफसीआई द्वारा अधिकृत न की गई ऐसी फर्मों/इकाइयों से संव्यवहार करते समय किसी प्रकार की हानि से बचा जा सके ।

कृपया नोट करें कि यदि बांडधारक इन फर्मों/इकाइयों द्वारा दिए गए किसी प्रतिवेदन/विवरण पर विश्वास करता है तो आईएफसीआई ऐसी फर्मों/इकाइयों से किए गए नकदीकरण के निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

प्रत्येक बांडधारक को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा किए गए संव्यवहार का स्वतंत्र मूल्यांकन या आंकलन करे । यदि किसी प्रकार की सहायता अपेक्षित हो तो बांडधारक आईएफसीआई के निम्नलिखित टेलीफोन नम्बरों +91-11-4179 2800, 41732000 (एक्सटेंशन नं. 2475 / 2457 व 2420) पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 27 मार्च, 2018

हस्ता/-
महाप्रबन्धक (संसाधन)